

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 287 / 2019-20



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

लुदू होरो

- विक्रेता

बलमदीना देवी

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
21.09.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक लुदू होरो पति स्व० सनिका होरो ग्राम कदमा, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने बलमदीना देवी पति श्री फेकु मुण्डा ग्राम टोड़ाकेल, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा (एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>कदमा</td><td>84</td><td>207</td><td>207</td><td>0.50</td></tr></tbody></table> <p>अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 944 दिनांक 12.11.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> 21/09/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p> 21/09/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	कदमा	84	207	207	0.50	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
कदमा	84	207	207	0.50								